


क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0-5ए) के वर्तमान में किमी0 5.050 से 10.050 तक के भाग में 4-लेन विद पेड शोल्डर करने हेतु आवश्यक वन भूमि के वर्तमान मूल्य एवं उसमें पड़ने वाले वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि का नियमानुसार भुगतान उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

तिथि:-

हस्ताक्षर

स्थान:-

  
प्रबन्धक (तकनीकी)  
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण  
लखनऊ

  
महाप्रबन्धक (तकनीकी-पूर्व)  
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)  
लखनऊ।